भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3562

(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2014 को दिया गया)

<u>अपंजीकृत बहुस्तरीय (मल्टीलेवल) विपणन फर्में</u>

3562. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की जानकारी में यह आया है कि हजारों बहुस्तरीय (मल्टीलेवल) विपणन फर्में विभिन्न वित्तीय और अन्य स्कीमों के माध्यम से लोगों को लूट रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने उनके विरूद्ध कोई अभियान शुरू किया है या भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी फर्मों के उन्मूलन करने के लिए कहा है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) और (ख) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय केवल कंपनियों न कि गैर-पंजीकृत फर्म जो संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं, से संबंधित कार्य देखता है। वैसे प्रत्यक्ष बिक्री/नेटवर्क/बहुस्तरीय विपणन में लगी कंपनियां से संबंधित मसलों पर विचार करने संबंधी मामलों में बेहतर अंतर एजेंसी समन्वय हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया था।

*****